बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0 संख्या – 15/औ0–14–06/15............................../स्वा0, पटना, दिनांक–................

श्रीमती सीमा कुमारी, औषधि निरीक्षक, खगड़िया (शहरी) को कदाचार, अनियमित कार्य करने तथा खगड़िया (शहरी) में अवस्थित दवा दुकानदारों से अभद्र व्यवहार करने तथा भयादोहन कर उनसे पैसा उगाही करने के आरोप में उन्हे सी0सी0ए0 रूल्स–2005 के नियम–9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्रीमती सीमा कुमारी को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके मुख्यालय से देय होगा बशर्ते कि वे निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहेगी तथा अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी। जिस अवधि में वे अपनी उपस्थिति निर्धारित मुख्यालय में दर्ज नहीं करेगी उस अवधि के लिए उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता देय नहीं होगा।

3. निलंबन की अवधि में श्रीमती सीमा कुमारी, औषधि निरीक्षक, खगड़िया (शहरी) का मुख्यालय सिविल सर्जन, गया के कार्यालय में निर्धारित किया जाता है।

4. श्रीमती सीमा कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाएगी इसके लिए संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–................................../स्वा0, पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.......251(15)......./स्वा0, पटना, दिनांक–.......6/5/15.......

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव /निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के आप्त सचिव, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, खगड़िया/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, खगड़िया/सिविल सर्जन, गया/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी, बिहार/श्रीमती सीमा कुमारी, औषधि निरीक्षक, खगड़िया (शहरी)/प्रशाखा–07, 09, 10, एवं 15, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/15

सरकार के संयुक्त सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

A.L.62